पक्षकार कलक्टर बीकानेर शहर

वकालत पत्रावली आज्ञा दिनांक 13.4.26 कलक्टर बीकानेर शहर

वकालतनामा उपस्थित है। कलक्टर बीकानेर शहर के पेश हो।

13/04/26 पत्रावली पेश हुई। अधिवादक तथा गिण उप० तरफ से तथागिण को जरिए ई-मित्र समन तलब किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र के संबंधित मूल वाद पत्र में तर्कवादीगण / प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र 212 CPC के अंतर्गत की तथागिण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अतः वादी तथागिण ता० पत्र 212 आदेश 9 नियम 13 की गयी। पत्रावली वास्ते आदेश आदेश दि. 15/4/26 को पेश हो।

15/04/26 पत्रावली पेश हुई। अधिवादक तथागिण उप०। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ता० पत्र 212 पर निहित होने वाले बिंदुओं पर गौर किया गया, सुविधा का संतुलन व औचित्य दृष्टि पर विवेचन किया गया। अतः तीनों बिंदु तथागिण के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः ता० पत्र 212 आदेश तथागिण की माल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म में
	लिया जाकर वादग्रस्त भूमि पर जाकर स्थानीय जांच पड़ताल के निस्तारण तक यथावत स्थगन जारी रहेगा। विस्तृत निर्णय हेतु विपक्षीगण/वादी द्वारा शामिल किया गया पत्रावली में उपलब्ध शुमार होकर बाद तरतीब/तामील पारित किया जाए।	